रजि सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 1985/चैत्र 11, 1907
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 1985/CHAITRA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आ. अ. 86(अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसकी, तारीख 15-10-1984 की अधिसूचना संख्या 434/ज.क.लो.स./84(1) में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तंभ 2 में :—

मद 4 ''4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर'' के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, ''3-उप खंड मजिस्ट्रेट, जांसकार'' प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[संख्या : 434/ज.क.-लो.स./84(1)]

आदेश से,

धर्मवीर, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1985

O.N. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 434/J&K-HP/84(1) dated 15-10-1984 namely :—

In column 2 of the table appended to the said notification :—

Against item No. 4 'Returning Officer of 4-Ladakh Parliamentary Constituency' after the existing entries, the entry '3-Sub-Divisional Magistrate, Zanskar' shall be added.

[No. 434/J&K-HP/84(1)]

By Order,

DHARAM VIR, Secy.
Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985